न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)**

राजस्व आवेदन संख्या : **86 / 2023**

प्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र पुनमाराम
2. चुतराराम पुत्र पुनमाराम
3. जालाराम पुत्र पुनमाराम
4. दुर्गाराम पुत्र पुनमाराम
5. निम्बाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी डालूवाणीयों का वास पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. घमण्डाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी डालूवाणीयों का वास पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
2. पूनमाराम पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी डालूवाणीयों का वास पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
3. अचलाराम पुत्र किसनाराम
4. अनाराम पुत्र हिमताराम
5. करनाराम पुत्र नेनाराम
6. चुनाराम पुत्र गेनाराम
7. चोखाराम पुत्र हिमताराम
8. जेठाराम पुत्र राजूराम
9. जालाराम पुत्र नेनाराम
10. जोगाराम पुत्र गेनाराम
11. दीपाराम पुत्र हिमताराम
12. नरींगाराम पुत्र नेनाराम
13. पीराराम पुत्र निम्बाराम
14. राऊराम पुत्र वालाराम
15. राजूराम पुत्र हिमताराम
16. लाछीदेवी पत्नी नेनाराम
17. वगताराम पुत्र वालाराम जाति जाट निवासी डालूवाणीयों का वास पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
18. किशनाराम पुत्र हिमताराम
19. खेमाराम पुत्र हिमताराम
20. ठाकराराम पुत्र हिमताराम
21. बालीदेवी पत्नी हिमताराम
22. लिखमाराम पुत्र हिमताराम
23. हीराराम पुत्र हिमताराम जाति जाट निवासी गोदारो की बस्ती पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी।
24. राज्य सरकार जरिये तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 22/06/23

अधिवक्ता :– श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31/10/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का प्रस्तुत कर [illegible] किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत ग्राम डालूवाणीयों का वास पटवार [illegible] भीमथल तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 219 / 1, 240 क्षेत्रफल [illegible] 0.1133 [illegible] 2.6871 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.8004 हैक्टेयर किस्म सभी बा. सोयम की भूमि आई हुई है, [illegible] आगामी पदों में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जायेगी। जिसकी जमाबन्दी नकल व भू–नक्शा साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीगण की पैतृक भूमि हैं जो प्रार्थीगण के

नामान्तरकरण दर्ज के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व प्रार्थीगण स्वयं के नाम से है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही पटवार मण्डल भीमथल के ग्राम डालूवाणीयो का वास के विप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नम्बर 219 क्षैत्रफल 1.4973 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 02 का खेत खसरा नम्बर 241/1 क्षेत्रफल 13.4517 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 03 से 17 तक का खेत खसरा नम्बर 241/254 क्षेत्रफल 14. 4553 हैक्टेयर व ग्राम भाम्भूओ का वास के खसरा नम्बर 58/1 रकबा 18.4294 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 18 से 23 के ग्राम गोदारो की बस्ती पटवार क्षेत्र बारासण तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 218 रकबा 2.4362 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 23 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ. /2023/सीमाज्ञान/55 दिनांक 01.03.2023 पटवारी हल्का भीमथल को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 13.04.2023 को हल्का पटवारी भीमथल द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थीगण व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर सीमाज्ञान कार्य शुरू किया गया तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थीगण को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा डालूवाणीयों का वास पटवार मण्डल भीमथल तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत ग्राम डालूवाणीयों का वास पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 219/1, 240 क्षेत्रफल क्रमशः 0.1133, 2.6871 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.8004 हैक्टेयर किस्म सभी बा. सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पु[illegible] करवाने की कृपा करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] से तलब किया गया, रजि. डाक से भेजे गए [illegible] की डाक रसीदें [illegible]वक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई, अप्रार्थी सं. 01 ता 23 को भे[illegible] अधिक का समय होने के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध ए[illegible]य कार्यवाही अमल में लाई गई।

31/10/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:53 IST
Reason: SelfAttested

अचलाराम बनाम डालूराम

निर्णयः– ~~कानूराम बनाम [illegible]~~, (धारा–111, 128)

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम डालूवाणीयों का वास पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 219/1, 240 क्षेत्रफल क्रमशः 0.1133, 2.6871 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.8004 हैक्टेयर किस्म सभी बा. सोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हमने पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार–धोरीमन्ना के आदेश की पालना में करवाए गए सीमाज्ञान की मौका फर्द दिनांक–13.04.2023 का अध्ययन किया, पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर 219/1, 240 की सीमाये कायम कर सीमाज्ञान का कार्यशुरू किया तो पड़ौसी खातेदारो ने विवाद शुरू कर सीमाज्ञान करने से मना किया, सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान पड़ौसी खातेदारान द्वारा वाद–विवाद करने पर सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका, इस बात का उल्लेख किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण के खेत ग्राम डालूवाणीयों का वास पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 219/1, 240 क्षेत्रफल क्रमशः 0.1133, 2.6871 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.8004 हैक्टेयर किस्म सभी बा. सोयम की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम डालूवाणीयों का वास पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 219/1, 240 क्षेत्रफल क्रमशः 0.1133 हैक्टेयर, 2.6871 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.8004 हैक्टेयर किस्म सभी बा. सोयम की भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नम्बर 219/1, 240 क्षेत्रफल क्रमशः 0.1133 हैक्टेयर, 2.6871 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.8004 हैक्टेयर किस्म सभी बा. सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

31/10/23

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 31/10/2023 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:53 IST
Reason: SelfAttested

31/10/23

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर